| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| | शस्त्रवाद सं 7/2015 | |
| 27/1/2015 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**संतोष मिश्रा, पिता-नवीन चन्द्र मिश्रा, मो0-कटरा बाजार, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण**<br>**आदेश**<br>प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 1829/गो0 18.6.09 के द्वारा आवेदक संतोष मिश्रा, पिता-नवीन चन्द्र मिश्रा, मो0-कटरा बाजार, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण का रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।<br>आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। इन्हें क्षेत्र में हमेशा देर रात्रि तक बाहर आना-जाना पड़ता है, इससे इनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। वर्ष 2009 में इनसे रंगदारी की मॉग की गयी थी, जिसके संबंध में इनके द्वारा भगवान बाजार थाना कांड सं0 232/09 दिनांक 4.9.09 धारा-385/506 दर्ज किया गया। अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।<br>आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, भगवान बाजार | |

के ज्ञापांक डी.आर. 144 दिनांक 22.1.09, अंचलाधिकारी, सदर के पत्रांक 88 दिनांक 28.2.09 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 49 दिनांक 6.3.09 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 1829/गो0 दिनांक 18.6.09 के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के अस्पष्ट रहने की वजह से आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन के संबंध में जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 407/शस्त्र दिनांक 31.10.09 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5283/गो0 दिनांक 28.8.10 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के विहित प्रपत्र में नहीं होने की वजह से पुनः प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 376/गो0 दिनांक 20.1.15 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदक को उनके निजी मोबाईल पर पॉच लाख रूपये रंगदारी स्वरूप देने की धमकी दी गयी थी। इस संबंध में उनके द्वारा भगवान बाजार थाना कांड सं0 223/10 दर्ज कराया गया है। आवेदक को व्यापार के सिलसिले में बाहर आना–जाना पड़ता है। इसलिए उनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। आवेदक एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके विरूद्व थाना अभिलेख में किसी प्रकार की कोई शिकायत या प्राथमिकी दर्ज नहीं है। अतः आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा की गयी है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, भगवान बाजार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक संतोष मिश्रा, पिता–नवीन चन्द्र मिश्रा, मो0–कटरा बाजार, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 62 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/15

वरीय उप-समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।